

बिहार सरकार
मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक—.....

संख्या-8/आ0 (राज0उ0)-2-17/2025-5585/ श्री विजय शेखर दूबे, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली, सम्प्रति सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध वैशाली में पदस्थापन काल में पातेपुर थाना काण्ड सं0-346/22 दिनांक-26.12.2022 में जब्त कंटेनर निबंधन सं0- MH04JU0423 से संबंधित अधिहरण वाद सं0-4/2023 में वाहन की नीलामी के क्रम में निजी सर्वेयर के मूल्यांकन 2,20,000/- (दो लाख बीस हजार) रुपये के आधार पर वाहन की नीलामी की गयी। जिला परिवहन पदाधिकारी, वैशाली द्वारा नेशनल इंश्योरेंस, हाजीपुर से उक्त वाहन का पूनर्मूल्यांकन कराये जाने पर वाहन का मूल्य लगभग 14,84,038/- रुपये आकलित किया गया। इस संबंध में श्री शरद नवनाथ गंगे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-18561/23 दायर किया गया था, जिसमें दिनांक-19.03.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-1924 दिनांक-10.05.2025 द्वारा दोषी कर्मियों/पदाधिकारियों को चिन्हित करते हुए प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। श्री दूबे द्वारा नियमानुसार निजी सर्वेयर का चयन, चयन का आधार, चयन की प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने तथा निजी सर्वेयर के कार्यकलापों एवं वाहनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने का मामला प्रकाश में आया है। श्री दूबे द्वारा नियमानुसार मूल्यवान वाहन के मामले में मोटरयान निरीक्षक से मूल्यांकन नहीं कराये जाने एवं सरकारी सेवकों के लिए निर्धारित आचरण के प्रतिकूल पाये जाने के कारण सरकारी निदेशों एवं बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3 के उल्लंघन आदि के आरोप में विभागीय संकल्प सं0-3698 दिनांक-04.07.2025 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी -सह-उपायुक्त मद्यनिषेध, बिहार, पटना के पत्रांक-1098 दिनांक-17.02.2026 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें आरोप (1) सर्वेयर का चयन, चयन का आधार एवं चयन की प्रक्रिया का पालन नहीं करने (2) निजी सर्वेयर के कार्यकलाप एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया का समुचित पर्यवेक्षण नहीं किये जाने (3) मूल्यवान वाहन के मामले में मोटरयान निरीक्षक से मूल्यांकन नहीं कराये जाने (4) सर्वेयर द्वारा Malafide Intention से प्रश्नगत वाहन का कम मूल्यांकन किये जाने जिसमें मद्यनिषेध कर्मियों की सहभागिता से इंकार नहीं किये जाने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

3. तदोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-2103 दिनांक-08.04.2026 द्वारा असहमति के बिंदु गठित करते हुए श्री दूबे से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गयी।

4. उक्त के आलोक में श्री दूबे के पत्रांक-1636 दिनांक-15.05.2026 एवं पत्रांक-1790 दिनांक-29.05.2026 द्वारा द्वितीय बचाव बयान विभाग में समर्पित किया गया है। बचाव बयान में कहा गया है कि नीलामी की धीमी गति को तीव्रता देने हेतु निजी सर्वेयर से सर्वेयर का नियमानुसार चयन किया गया तथा बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2022 के नियम-14 (3) में नीलामी के पूर्व कलक्टर या प्राधिकृत

पदाधिकारी से वाहन/सवारी/परिसर का मूल्यांकन कराया जाना प्रावधानित है। संबंधित सर्वेयर जिला परिवहन कार्यालय, वैशाली के माध्यम से नियुक्त किया गया था, जिनके लाइसेंस आदि की जाँच कर ली गयी थी। निजी सर्वेयर के कार्यकलापों एवं वाहनों के मूल्यांकन की प्रक्रिया का समुचित एवं सतत् पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आहूत किये जाने वाले बैठकों में की जाती थी। निलामी संबंधी कार्य अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा करायी जाती है। विभाग की ओर से निरीक्षक मद्यनिषेध को अनुमंडल में निलामी हेतु नोडल पदाधिकारी बनाया गया था। वृहद संख्या में (लगभग 1000 वाहन) निलाम किये गये हैं जिसमें प्रत्येक वाहन का उनके द्वारा निरीक्षण किया जाना संभव नहीं था, जिसके कारण संबंधित अनुमंडल के निरीक्षक मद्यनिषेध को यह जिम्मेदारी दी गयी थी। निजी सर्वेयर द्वारा समर्पित वाहन का मूल्यांकन सूची निरीक्षक मद्यनिषेध द्वारा अग्रसारित किये जाने के संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि निरीक्षक मद्यनिषेध जो दैनिक प्रभार में थे, के द्वारा मात्र सूची अग्रसारित की गयी है, यदि वे भी रहते तो उक्त सूची को मात्र उनके द्वारा अग्रसारित किया जाता, क्योंकि मूल्यांकन, जो पूर्णतः तकनीकी कार्य है, मोटरयान निरीक्षक अथवा निजी सर्वेयर द्वारा ही किया जाता है। मुख्यवान वाहनों के मामले में मोटरयान निरीक्षक से मूल्यांकन नहीं कराये जाने के संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि ऐसा वर्गीकरण विभागीय पत्रों में नहीं था तथा निलामी के दृष्टिकोण से सभी वाहनों को मुख्यवान की श्रेणी में रखकर ही उनका सही दाम लगाया जाना है। उनके द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोप निराधार बताया गया है।

5. निलामी समिति के कार्यकलापों का समुचित रूप से उनके द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के संबंध में उनके द्वारा बताया गया है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ को निलामकर्ता अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था तथा सदस्य के रूप में अपर अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक एवं निरीक्षक मद्यनिषेध को समिति में सम्मिलित किया गया है। उक्त निलामी समिति में सदस्य के रूप में उन्हें नामित नहीं किया गया था जिसके कारण किसी प्रकार का हस्तक्षेप उनके द्वारा किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं था। श्री दुबे द्वारा बताया गया है कि निजी सर्वेयर के रिपोर्ट को बिना किसी आपत्ति के एवं बिना मोटरयान निरीक्षक के विचार के निलामी हेतु प्रकाशित दर पर निलाम किया गया है। संबंधित वाहन के निलामी के दिन मोटरयान निरीक्षक उपस्थित नहीं थे, फिर भी निलामी की प्रक्रिया को स्थगित नहीं किया गया। निलामी प्रक्रिया में अनियमितता का उल्लेख करते हुए इसे पूर्णतः प्रशासनिक प्रक्रिया बताया गया है तथा निलामी के दिन दो सदस्यों के अनुपस्थिति के संबंध में उल्लेख किया गया है। उक्त के आलोक में उनके द्वारा बताया गया है कि प्रश्नगत वाहन के मूल्यांकन में उनकी कोई सहभागिता नहीं है और अपर अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ अथवा अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ के कार्यकलाप/निलामी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने हेतु वे सक्षम प्राधिकार नहीं थे।

6. उनके द्वारा पुनः पुरक अभिकथन समर्पित किया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि संबंधित मामले में संचालित विभागीय कार्यवाही में तीन पदाधिकारी एवं कर्मी (1) श्री विजय शेखर दूबे (2) श्री गणेश चन्द्र, निरीक्षक मद्यनिषेध एवं (3) श्री सुरेश चौधरी, निरीक्षक मद्यनिषेध को आरोपित किया गया था, जिसमें श्री गणेश चन्द्र, निरीक्षक मद्यनिषेध एवं श्री सुरेश चौधरी, निरीक्षक मद्यनिषेध को श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, तत्कालीन उपायुक्त मद्यनिषेध-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभाग द्वारा समीक्षोपरांत दोषमुक्त कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा

पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 दायर किया गया था। तकनीकी रूप से वाहन के विशेषज्ञ परिवहन विभाग है, जिसके विशेषज्ञ जिला स्तर पर जिला परिवहन पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक तथा प्राईवेट सर्वेयर/वैल्यूअर ही हैं। पूर्व में जिला पदाधिकारी, वैशाली द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी, वैशाली के पत्रांक-984 दिनांक-30.04.2024 के द्वारा तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ एवं तत्कालीन अपर अनुमंडल पदाधिकारी महुआ के विरुद्ध कार्रवाई हेतु चिन्हित किया गया है। उक्त के आलोक में श्री दुबे पर लगाये गये आरोपो को उन्होंने निराधार बताते हुए आरोपों से मुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

7. संचालन पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन एवं श्री दूबे द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान के समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा यह पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री दुबे के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में वर्णित सभी आरोपो को अप्रमाणित पाया है। साथ ही संबंधित मामले में आरोपी पदाधिकारी (1) श्री गणेश चन्द्र, निरीक्षक मद्यनिषेध एवं (2) श्री सुरेश चौधरी, निरीक्षक मद्यनिषेध को श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा, तत्कालीन उपायुक्त मद्यनिषेध-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अंतिम जाँच प्रतिवेदन में अंकित निष्कर्ष के आलोक में विभागीय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत दोषमुक्त कर दिया गया है।

8. फलतः उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत लिए गए निर्णय के आलोक में श्री विजय शेखर दुबे, तत्कालीन अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली संप्रति सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, मुजफ्फरपुर द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन को समीक्षोपरांत श्री दुबे को आरोपमुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव

पटना, दिनांक-

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-17/2025-...../

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग को (सी0डी0 सहित) राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-8/आ0 (राज0 उ0)-2-17/2025-5585/

पटना, दिनांक- 07.09.26

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आयुक्त उत्पाद-सह-निबंधन महानिरीक्षक के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध/राजपत्रित स्थापना, प्रशाखा-5/आई0टी0 मैनेजर/श्री विजय शेखर दूबे, तत्का0 अधीक्षक मद्यनिषेध, वैशाली, सम्प्रति सहायक आयुक्त मद्यनिषेध, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव